बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0 :- 334392 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 31.10.2017

ग्रा0वि0-14(नि0को0)पूर्वी चम्पारण-15/2016 (पार्ट)

श्री लोकेन्द्र यादव, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरसिद्धि प्रखंड, जिला- पूर्वी चम्पारण को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 23.08.2016 को परिवादी श्री अजय कुमार से ₹15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में उपस्थित भीड़ द्वारा हंगामा कर पुलिस अभिरक्षा से श्री यादव को छुड़ा लिया गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 080/2016 दिनांक- 24.08.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक पत्रांक- एस0आर0-080/2016 निग0-**2012**/अप0शा0 दिनांक- **05.09.2016** द्वारा दी गयी।

श्री यादव द्वारा दिनांक- 22.02.2017 को माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, मुजफ्फरपुर में आत्मसमर्पण किया गया। तत्पश्चात् निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

2. विभागीय अधिसूचना सं0- 324152 दिनांक- 25.08.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 22.02.2017 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

3. श्री यादव दिनांक- 29.07.2017 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक- 11.08.2017 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया।

4. विभागीय अधिसूचना सं0- 334293 दिनांक- 31.10.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री यादव को निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक-11.08.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

5. चूँकि श्री यादव के विरूद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है तथा उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया जिसके लिए उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0- 080/16 दर्ज है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के आलोक में योगदान स्वीकृति की तिथि दिनांक- 11.08.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

6. निलम्बन अवधि में श्री यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. निलम्बन अवधि में श्री यादव का मुख्यालय समाहरणालय, पटना निर्धारित किया जाता है।

8. निलम्बनादेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31/10/17

(महेन्द्र भगत)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 334392 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 31.10.2017

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में सी.डी. सहित) को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग) विभाग; बिहार, पटना / पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/17

सरकार के उप सचिव।

F:\Section-14\Year 2016\Office Order\ORDER(2017)-044.doc

ज्ञापांक :- 334392 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 31.10.2017

निबन्धित/ ईमेल/चपरासी बही

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/ जिला पदाधिकारी, पटना/ उप विकास आयुक्त, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/ पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण / उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण / विशेष कार्य पदाधिकारी, लेखा प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण / कोषागार पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरसिद्धि प्रखंड, जिला- पूर्वी चम्पारण / श्री लोकेन्द्र यादव, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरसिद्धि प्रखंड, जिला- पूर्वी चम्पारण (सम्प्रति मुख्यालय: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) पिता- श्री चन्द्रभान सिंह यादव, वार्ड नं0- 17, पड़री बुजुर्ग, महराजगंज, उत्तर प्रदेश- 273303 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/X/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 334392 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 31.10.2017

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31/X/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 334392 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 31.10.2017

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

31/X/17

सरकार के उप सचिव।